

प्ररूप अ.डि.अ. -1
अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र
(नियम 97)
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

मैं अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) के अधीन अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ ।

_____ से चरित्र प्रमाणपत्र इससे संलग्न है ।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2001 के नियम 95 के खण्ड (I), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में बताई गई किसी नियोग्यता से ग्रस्त नहीं हूँ और यह कि नीचे दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

1. जिसके प्रारम्भ में उपनाम यदि कोई हो, पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____
2. निवास स्थान का पता _____
3. कारबार का मुख्य स्थान _____
4. पिता का नाम _____
5. राष्ट्रिकता _____
6. जन्म की तारीख और स्थान _____
7. उपजीविका पूर्ण रूप से _____
8. अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं की विशिष्टियाँ _____
9. क्या किसी समय अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाया गया है और यदि हां, तो (इस प्रकार हटाए जाने का कारण) _____

हस्ताक्षर _____

सेवा में,

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ
अभिन्यास डिजाइन
अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास
डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

_____ में रजिस्ट्री अभ्यर्थी के चरित्र को प्रमाणित करने का वाला प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो अभ्यर्थी का नातेदार न हो तथा जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या उस जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से हो। जहाँ अभ्यर्थी प्रायिक रूप से निवास करता है या किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है, जिसे रजिस्ट्रार उपयुक्त समझता है ।

दाया की गई अर्हताओं के समर्थन में मूल डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज, या किसी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित उनकी प्रतियाँ आवेदन के साथ भेजी जानी चाहिए ।

विशिष्टियाँ जैसे कि अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता या किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक फर्म के कार्यालय में अर्जित अनुभव विनिर्दिष्ट किया जाए ।

1. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें । नियम 4 देखिए ।